

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

सं०-331/रा०वि०आ०-पा०नि०/नि०का०/टेण्डर/2023-24

दिनांक ०९ अगस्त, 2023

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-23/2023-24 में निर्माण कार्य हेतु समस्त विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों (जिनके हसियत/चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर के हों) को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से निम्नलिखित 01 निर्माण कार्य हेतु दिनांक 19.08.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में आमन्त्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपराह्न 4:30 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निविदायें खोली जायेंगी। निविदा के साथ 2% धरोहर धनराशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। निविदा फार्म नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग से निर्धारित मूल्य जमा करके दिनांक 18.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाओं अथवा न्यूनतम निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्राप्त होने या खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी। सम्बंधित निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट - WWW.bahraichnpp.in पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	2 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जीएसटी 18 %	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य समाप्त करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो० चांदमारी में गावट मन्दिर के पास अनिरुद्ध के मकान से विनोद के मकान तक नाली निर्माण का कार्य।	255934.00	5150.00	275.00	50.00	325.00	एक माह

शर्तें-

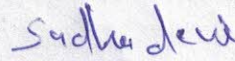
- 1- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- 2- सील बन्द निविदायें नगरपालिका परिषद, बहराइच, के निर्माण अनुभाग में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 19.08.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक ही निविदायें डाली जायेगी, जो उसी दिन अपराह्न 4:30 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- 3- टेण्डर के साथ प्रत्येक कार्य हेतु 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा की स्वीकृति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।
- 5- निविदा स्वीकृत/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 6- कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग फोटो ग्राफ देना होगा एवं कार्य प्रारम्भ से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को लगाना होगा।
- 7- निविदा स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ की सूचना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को लिखित रूप में ठेकेदार को देना होगा। तदुपरान्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 8- कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 9- नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर फार्म कृय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में प्रस्तुत करनी होगी।
- 10- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदुपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- 11- उक्त कार्य हेतु तीन-तीन निविदायें प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

- 12- प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बंध में किसी का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 13- निर्माण कार्यों के स्वीकृत आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है। जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 14- निविदादाता के हेंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र की समयावधि निर्धारित समय के अन्दर की होनी चाहिए। चरित्र/हेंसियत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदायें स्वीकार नहीं होंगी।
- 15- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 16- उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।



(प्रमिता सिंह)
अधिशाली अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

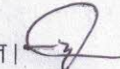


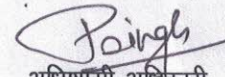


(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

प0स0 एवं दिनांक- उपरोक्त
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।


11-18-23


अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बहराइच।